



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R-3401-III/14

श्री. डी. एस. चौहान - P.S.
इस आज दि. 18/09/14 को
प्रस्तुत

पत्रक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
7/9/14

- 1- सतपाल पुत्र ताराचंद
- 2- पंचम पुत्र सीताराम
- 3- कल्ला पुत्र हरज्ञान
- 4- वीरम पुत्र चन्द्रभान
- 5- रामेश्वर पुत्र सूर्यहंश

निवासीगण - ग्राम पडोरी, तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी (म.प्र.) -----आवेदकगण
बनाम

- 1- भोंदू पुत्र गबू जाटव निवासी ग्राम पहाडी हाल
निवासी गणेशखेडा, तहसील- कोलारस, जिला
शिवपुरी (म.प्र.)
- 2- रघुवीर पुत्र गोरेलाल यादव
- 3- फेरन पुत्र गोरेलाल यादव
- 4- साहव सिंह पुत्र जगन्नाथ यादव
- 5- लाखन पुत्र सीताराम यादव
- 6- भरत पुत्र शिवचरण यादव
- 7- साबू पुत्र शिवचरण यादव
- 8- चन्द्रभान पुत्र अमरलाल यादव

निवासीगण ग्राम-पडोरी, तहसील- कोलारस,
जिला शिवपुरी (म.प्र.) -----अनावेदकगण

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र.भू राजस्व
संहिता-1959 विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी
महोदय के प्रकरण क्रमांक 71/2013-14/अपील
प्राप्त आदेश दिनांक 18.9.2014 से परिवेदित होकर।

मांक-2

कोलारस
त किया

धेकार

दित

या

ने

र

5

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3401-तीन/2014

जिला-शिवपुरी

सतपाल आदि विरुद्ध भोंदू आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों का अभिमानपत्र के हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 71/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 18-09-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जेन) 6119 सदस्य</p>